



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
भारी पानी बोर्ड / Heavy Water Board



**संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन - रिपोर्ट**  
**(दिनांक 03 से 05 दिसंबर, 2025)**

परमाणु ऊर्जा विभाग की मुम्बई स्थित छह यूनिटों (निसेसंप्रनि, क्रभनि, पऊनिप, भापाबो, ब्रिट एवं नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड) की संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति के तत्वावधान में निसेसंप्रनि द्वारा दिनांक 03 से 05 दिसंबर, 2025 तक शून्य तल, विपस हॉल, वी.एस. भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई में तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में छह यूनिटों के नामित कुल 27 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के पहले दिन उद्घाटन सत्र में श्री प्रभात कुमार शर्मा, उप-निदेशक (राभा) निसेसंप्रनि ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी भापाबो, श्रीमती अजीता थरियन, श्री एस.एस. गोंडाणे, मुख्य प्रशासन अधिकारी, निसेसंप्रनि एवं श्री भास्करानंद झा, उप निदेशक (राभा), भापाबो एवं सदस्य-सचिव, संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति उपस्थित थे जिन्होंने राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रथम सत्र में श्री प्रभात कुमार शर्मा, उप निदेशक (राभा), निसेसंप्रनि ने "संघ की राजभाषा नीति" की मुख्य बातों पर चर्चा की। इसके पश्चात श्री भास्करानंद झा, उप निदेशक (राभा), भापाबो ने "हिंदी वर्तनी का मानकीकरण" पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। जलपान के उपरांत श्री पंकज प्रसाद, सहायक कार्मिक अधिकारी, निसेसंप्रनि ने "आचरण नियमावली" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्रीमती अनुभा खरगोणकर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, निसेसंप्रनि ने "संशोधित तिमाही रिपोर्ट" के प्रारूप पर चर्चा करते हुए तिमाही रिपोर्ट के बारीकियों को स्पष्ट किया।

कार्यशाला के दूसरे दिन की शुरुआत में श्री आशुतोष दुबे, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, पऊनिप ने "प्रोत्साहन योजना" के मूल बिंदुओं की व्याख्या की तथा सभी प्रतिभागियों को इस योजना के तहत प्रोत्साहन संबंधी आर्थिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तदुपरांत श्री सत्यनारायण, सहायक कार्मिक अधिकारी, पऊनिप ने "सूचना का अधिकार (RTI Act)" के बारे में बताया। भोजन के उपरांत श्रीमती विद्याश्री, सहायक निदेशक (राभा), ब्रिट ने "पऊवि की गतिविधियाँ" पर जानकारी दी।

कार्यशाला के तीसरे दिन की श्री भास्करानंद झा, उप निदेशक (राभा), भापाबो ने "टिप्पण एवं आलेखन: सिद्धांत एवं अभ्यास" पर लाभदायक व्याख्यान दिया एवं अभ्यास के साथ अपने सत्र का समापन किया। अंतिम सत्र में श्रीमती स्नेहा हिरे, सहायक लेखा अधिकारी (नकद), निसेसंप्रनि ने बहुत ही सरल शब्दों में "नई पेंशन योजना बनाम एकीकृत पेंशन योजना (NPS vs UPS)" से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की तथा प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ अपने सत्र को समाप्त किया। इसके बाद सत्रान्त परीक्षा आयोजित की गई एवं सर्वोत्कृष्ट अंक पानेवाले 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

कार्यशाला के समापन सत्र में, श्री एस.एस. गोंडाणे, मुख्य प्रशासन अधिकारी, निसेसंप्रनि, श्री संजय कांबले, मुख्य प्रशासन अधिकारी, क्र.भ.नि. एवं श्री भास्करानंद झा, उप निदेशक (राभा), भापाबो एवं सदस्य-सचिव, संयुक्त राजभाषा समन्वय समिति ने सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया। श्री प्रभात कुमार शर्मा, उप निदेशक (राभा), निसेसंप्रनि ने समापन सत्र का संचालन करते हुए सभी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस तीन दिवसीय कार्यशाला का सफल समापन किया गया।



\*\*\*\*\*